रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-22072020-220638
CG-MH-E-22072020-220638

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 275] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 22, 2020/आषाढ़ 31, 1942
No. 275] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 22, 2020/ASADHA 31, 1942

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 22 जुलाई, 2020

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
(निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) (संशोधन) विनियम, 2020

सं. सेबी/एल.ए.टी.-एन.आर.ओ/जी.एन./2020/24.—भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 30, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 31 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 25 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15ञख, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 23ञक और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19झक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) विनियम, 2018 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्, -

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) (संशोधन) विनियम, 2020 कहा जा सकेगा ।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) विनियम, 2018 में –

(1) विनियम 15 में, उप-विनियम (2) में,

(i) खंड (क) में, शब्दों और चिह्नों "मांग की सूचना प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह कलैंडर दिनों के भीतर, निपटारे की रकम [जो निपटारे की शर्तों आदि का हिस्सा हो] प्रेषित करेगा, और यह अवधि पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल द्वारा, ऐसे कारणों से जिन्हें दर्ज किया जाए, पंद्रह कलैंडर दिनों तक बढ़ाई जा सकेगी" के लिए, शब्द और चिह्न "मांग की सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस कलैंडर दिनों के भीतर, निपटारे की रकम (जो निपटारे की शर्तों आदि का हिस्सा हो) प्रेषित करेगा, और यह अवधि पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल द्वारा, ऐसे कारणों से जिन्हें दर्ज किया जाए, साठ कलैंडर दिनों तक केवल तभी बढ़ाई जा सकेगी जब समय बढ़ाने के संबंध में किया जाने वाला आवेदन माँग की सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर प्राप्त हो जाए" प्रतिस्थापित हो जाएंगे;

(ii) खंड (क) के स्पष्टीकरण में, शब्दों और चिह्नों "निपटारे की रकम 'भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड' के पक्ष में लिखे गए मांग ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) [जो मुंबई में देय हो] के जरिए या एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए निर्धारित बैंक खाते में सीधे जमा करके या फिर भुगतान के किसी अन्य प्राधिकृत माध्यम से प्रेषित की जाएगी" के लिए, शब्द और चिह्न "निपटारे की रकम निर्धारित बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए या फिर भुगतान के किसी अन्य प्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीधे जमा करके प्रेषित की जाएगी" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे ।

(2) अध्याय-VIII का लोप हो जाएगा ।

(3) विनियम 34 में, उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा,-

"(4) अध्याय-VIII का लोप हो जाने पर भी, विनियम 18 के तहत जारी की गई निपटारे की सूचना (नोटिस) के संबंध में उसी प्रकार कार्रवाई की जाएगी, मानो कि अध्याय-VIII अभी भी लागू है और उस पर तदनुसार कार्रवाई की जाती रहेगी ।"

(4) अनुसूची-I में, भाग-ख में, शब्दों और चिह्नों "इन विनियमों के अध्याय- II के तहत प्रत्येक आवेदक, 'भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड' के पक्ष में लिखे गए मांग ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) [जो मुंबई में देय हो] के माध्यम से या बैंक खाते में एनईएफटी / आरटीजीएस / आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से पंद्रह हजार रुपये की अप्रतिदेय (लौटाई न जाने वाली) प्रोसेसिंग फीस अदा करेगा" के लिए, शब्द और चिह्न "इन विनियमों के अध्याय-II के तहत प्रत्येक आवेदक पंद्रह हजार रुपये की अप्रतिदेय (लौटाई न जाने वाली) प्रोसेसिंग फीस बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए या फिर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीधे जमा करके अदा करेगा" प्रतिस्थापित हो जाएंगे ।

(5) अनुसूची-II में, अध्याय–I में, खंड 11 के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा,-

"11क. आवेदक को केवल आंतरिक समिति के समक्ष ही सुनवाई या बैठक का अवसर प्रदान किया जाएगा ।"

(6) अनुसूची-II में, अध्याय-VI में, सारणी-VI में, अंतिम दो पंक्तियाँ निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएंगी, -

"

जहाँ खुला प्रस्ताव लाना बेकार हो जाए	**यदि अर्जनकर्ता (एक्वायरर) के किसी क्रियाकलाप की वजह से बेकार हो जाए**	**यदि कंपनी के किसी क्रियाकलाप की वजह से या किसी अन्य वजह से बेकार हो जाए**
	1 करोड़ रुपये या खुले प्रस्ताव का आकार, जो भी ज्यादा हो	10 लाख रुपये से 35 लाख रुपये के बीच की कोई रकम; जो 1 से 3 गुना तक बढ़ाई जा सकेगी, जैसा आंतरिक समिति या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति या पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल द्वारा तय किया जाए

"

(7) अनुसूची-II में, अध्याय-VI में, सारणी-X निम्नलिखित सारणी से प्रतिस्थापित हो जाएगी,-

"

सारणी-X

प्रत्येक आवेदक की हर कथित चूक के लिए या संयुक्त देनदारी (दायित्व) के आधार पर शेष आधार राशि (संयुक्त आवेदकों के मामले में लागू राशि के योग के अनुसार)

	व्यक्ति [संप्रवर्तक (प्रोमोटर) एवं मुख्य अधिकरी शामिल नहीं हैं] (I)	निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) एवं फर्म [जिनमें निगमित निकाय / फर्म के साथ संयुक्त देनदारी (दायित्व) से संबंधित मामलों में संप्रवर्तक एवं मुख्य अधिकरी शामिल हैं] (II)	संप्रवर्तक (प्रोमोटर), मुख्य अधिकारी और अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायन्स ऑफिसर) [जब II, IV-VII में न हों] (III)	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15ख (15बी) एवं 15च (15एफ) और ऐसी ही चूकें [जिनमें मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) के साथ संयुक्त देनदारी (दायित्व) से संबंधित मामलों में संप्रवर्तक (प्रोमोटर) एवं मुख्य अधिकरी शामिल हैं] (IV)	निवेशक शिकायतों का निवारण करने में असफल रहना [जिनमें मध्यवर्ती / निर्गमकर्ता (इश्युअर) के साथ संयुक्त देनदारी (दायित्व) से संबंधित मामलों में संप्रवर्तक एवं मुख्य अधिकरी शामिल हैं] (V) (देरी के लिए 1/4 घट जाएगा)	बाजार की बुनियादी संस्थाएं (मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्स्टिट्यूशन) [जिनमें संस्था के साथ संयुक्त देनदारी (दायित्व) से संबंधित मामलों में संप्रवर्तक एवं मुख्य अधिकरी शामिल हैं] (VI)	फंड (निधि) से संबंधित चूकें [जिनमें फंड के साथ संयुक्त देनदारी (दायित्व) से संबंधित मामलों में संप्रवर्तक एवं मुख्य अधिकरी शामिल हैं] (VII)
आधार राशि जहाँ : कपटपूर्ण और अनुचित व्यापारिक व्यवहार (एफयूटीपी) या अंतरंग व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग / आईटी) से संबंधित चूक, प्रस्ताव दस्तावेजों (ऑफर डॉक्यूमेंट) में मिथ्या / भ्रामक / गलत / अधूरे प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र), बाजार की बुनियादी	15 लाख रुपये	1 करोड़ रुपये	45 लाख रुपये	15 लाख रुपये	30 लाख रुपये	5 करोड़ रुपये	33 लाख रुपये या उल्लंघन के समय, औसत प्रबंधनाधीन आस्तियों (असेट अंडर मैनेजमेंट) का 0.01% या उल्लंघन के समय, औसत शुद्ध मालियत (नेटवर्थ) का 0.5% (जो भी अधिक हो)

संस्थाओं द्वारा उस प्रकार कारबार का संचालन न किया जा रहा हो जैसा अपेक्षित हो, लापरवाही बरतकर किया गया उल्लंघन, या प्रत्यर्पण (डिस्गॉर्जमेंट) / धन-वापसी (रिफंड) की रकम 1 करोड़ रुपये से अधिक हो (ड)							
बेंचमार्क जहाँ उल्लंघन वह हो जिसका उल्लेख (ड) में किया गया है और, - ऐसे उल्लंघन से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से – (I) अन्य व्यक्तियों को काफी नुकसान हुआ हो, (II) अन्य व्यक्तियों को काफी नुकसान होने का काफी जोखिम पैदा हो गया हो, या, (III) प्रतिभूति बाजारों की सत्यनिष्ठा पर असर पड़ा हो (ढ)	60 लाख रुपये	3 करोड़ रुपये	2 करोड़ रुपये	60 लाख रुपये	80 लाख रुपये	10 करोड़ रुपये	60 लाख रुपये या उल्लंघन के समय, औसत प्रबंधनाधीन आस्तियों का 0.05% या उल्लंघन के समय औसत शुद्ध मालियत (नेटवर्थ) का 0.75% (जो भी अधिक हो)

शेष (ण)	3 लाख रुपये	15 लाख रुपये	10 लाख रुपये	3 लाख रुपये	6 लाख रुपये	3 करोड़ रुपये	15 लाख रुपये या उल्लंघन के समय, औसत प्रबंधनाधीन आस्तियों का 0.001% या उल्लंघन के समय, औसत शुद्ध मालियत (नेटवर्थ) का 0.05% (जो भी अधिक हो)

"

(8) अनुसूची-III के भाग–ख का लोप हो जाएगा ।

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./123/2020-21]

पाद टिप्पण:

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/जी.एन./2018/48 द्वारा, 30 नवम्बर 2018 को (1 जनवरी 2019 से लागू) भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 22nd July, 2020

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SETTLEMENT PROCEEDINGS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2020

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/24.— In exercise of the powers conferred by Section 15JB of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, Section 23JA of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and Section 19-IA of the Depositories Act, 1996 read with Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, Section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and Section 25 of the Depositories Act, 1996, the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Settlement Proceedings) Regulations, 2018, namely:—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Settlement Proceedings) (Amendment) Regulations, 2020.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Settlement Proceedings) Regulations, 2018 -

(1) In the regulation 15, in the sub-regulation (2),

(i) in clause (a),

(a) after the words "not later than" and before the words "calendar days from the date of receipt", for the word, "fifteen", the word "thirty", shall be substituted;

(b) for the words, "by fifteen calendar days", the words "by sixty calendar days, only after receipt of an application seeking extension of time within thirty days from the date of receipt of notice of demand" shall be substituted;

(ii) in the explanation to the clause (a),-

(a) the words "by way of a demand draft drawn in favour of 'Securities and Exchange Board of India' payable at Mumbai or" shall be omitted;

(b) after the words "or any other authorised" and before the words "mode of payment", the word "electronic" shall be inserted;

(2) Chapter VIII, shall be omitted.

(3) In regulation 34, after sub-regulation (3), following sub-regulation, shall be inserted, -

"(4) Notwithstanding the omission of Chapter VIII, a Settlement Notice issued under regulation 18, shall be dealt with as if the Chapter VIII is still in force and continue to be dealt with accordingly."

(4) In Schedule I, in Part – B ,

(i) the words "by way of a demand draft in favour of 'Securities and Exchange Board of India' Payable at Mumbai or", shall be omitted;

(ii) after the words "or any other" and before the word "mode", the word "electronic" shall be inserted.

(5) In Schedule II, in Chapter I, after Clause 11, following clause shall be inserted, -

"11A. The applicant shall be provided opportunity of hearing or meeting only before the Internal Committee."

(6) In the Schedule II, in Chapter VI, in Table VI, the last row shall be substituted with the following:

"

WHERE THE MAKING OF THE OPEN OFFER IS INFRUCTUOUS	INFRUCTUOUS BY AN ACT OF THE ACQUIRER	INFRUCTUOUS BY AN ACT OF THE COMPANY OR BY ANY OTHER REASON
	RUPEES 1 CRORE OR OPEN OFFER SIZE, WHICHEVER IS HIGHER	ANY AMOUNT BETWEEN RUPEES 10 LAKHS TO RUPEES 35 LAKHS; WITH A MULTIPLIER BETWEEN 1 TO 3 AS DECIDED BY THE IC OR HPAC OR THE PANEL OF WTMS

"

(7) In Schedule II, in Chapter VI, in Table X shall be substituted with the following table.

''

TABLE-X

RESIDUARY BA, FOR EACH UNIT OF ALLEGED DEFAULT FOR EACH APPLICANT OR ON JOINT LIABILITY BASIS (AS PER THE SUM OF APPLICABLE AMOUNTS IN CASE OF JOINT APPLICANTS)

	INDIVIDUAL (PROMOTERS AND PRINCIPAL OFFICERS NOT INCLUDED) (I)	BODY CORPORATE & FIRM (INCLUDING PROMOTERS AND PRINCIPAL OFFICERS IN CASES RELATING TO JOINT LIABILITY WITH THE BODY CORPORATE /FIRM) (II)	PROMOTE, PRINCIPAL OFFICERS & COMPLIANCE OFFICERS [WHEN NOT IN II, IV-VII] (III)	SECTION 15B AND 15F OF SEBI ACT & SIMILAR DEFAULTS (INCLUDING PROMOTERS AND PRINCIPAL OFFICERS IN CASES RELATING TO JOINT LIABILITY WITH THE INTERMEDIARY) (IV)	FAILURE IN REDRESSING INVESTOR GRIEVANCES (INCLUDING PROMOTERS AND PRINCIPAL OFFICERS IN CASES RELATING TO JOINT LIABILITY WITH THE INTERMEDIARY/ ISSUER) (V) (FOR DELAY REDUCE TO 1/4)	MARKET INFRASTRUCTURE INSTITUTIONS (INCLUDING PROMOTERS AND PRINCIPAL OFFICERS IN CASES RELATING TO JOINT LIABILITY WITH THE INSTITUTION) (VI)	FUND RELATED DEFAULTS (INCLUDING PROMOTERS AND PRINCIPAL OFFICERS IN CASES RELATING TO JOINT LIABILITY WITH THE FUND) (VII)
BA WHERE: DEFAULT RELATES TO FUTP OR IT, FALSE/ MISLEADING/ INCORRECT/INCOMPLETE DISCLOSURES IN OFFER DOCUMENTS, FAILURE BY MARKET INFRASTRUCTURE INSTITUTIONS TO CONDUCT BUSINESS IN THE REQUIRED MANNER, A RECKLESS VIOLATION, OR A DISGORGEMENT/REFUND IN EXCESS OF RUPEES 1 CRORE (M)	RUPEES 15 LAKHS	RUPEES 1 CRORES	RUPEES 45 LAKHS	RUPEES 15 LAKHS	RUPEES 30 LAKHS	RUPEES 5 CRORES	RUPEES 33 LAKHS OR 0.01% OF THE AVERAGE ASSET UNDER MANAGEMENT, AT TIME OF VIOLATION OR 0.5% OF THE AVERAGE NET WORTH, AT TIME OF VIOLATION, WHICHEVER IS HIGHER
BENCHMARK WHERE VIOLATION INVOLVED AT (M) AND, - SUCH VIOLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY – (I) RESULTED IN SUBSTANTIAL LOSSES TO OTHER PERSONS, (II) CREATED A SIGNIFICANT RISK OF SUBSTANTIAL LOSSES TO OTHER PERSONS, OR (III) AFFECTED THE INTEGRITY OF THE SECURITIES MARKETS (N)	RUPEES 60 LAKHS	RUPEES 3 CRORES	RUPEES 2 CRORES	RUPEES 60 LAKHS	RUPEES 80 LAKHS	RUPEES 10 CRORES	RUPEES 60 LAKHS OR 0.05% OF THE AVERAGE ASSET UNDER MANAGEMENT, AT TIME OF VIOLATION OR 0.75% OF THE AVERAGE NET WORTH, AT TIME OF VIOLATION, WHICHEVER IS HIGHER
RESIDUARY (O)	RUPEES 3 LAKHS	RUPEES 15 LAKHS	RUPEES 10 LAKHS	RUPEES 3 LAKHS	RUPEES 6 LAKHS	RUPEES 3 CRORES	RUPEES 15 LAKHS

							OR 0.001% OF THE AVERAGE ASSET UNDER MANAGEMENT, AT TIME OF VIOLATION OR 0.05% OF THE AVERAGE NET WORTH, AT TIME OF VIOLATION, WHICHEVER IS HIGHER”

”

(8) Part – B of the Schedule – III shall be omitted.

AJAY TYAGI , Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./123/2020-21]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Settlement Proceedings) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on November 30, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2018/48, with effect from 1st day of January 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.